Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

Topic

Meaning Of Business Organisation

कम्पनी की विशेषताएँ अथवा लक्षण
(CHARACTERISTICS OF A COMPANY)

एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी (प्रमण्डल) के निम्नलिखित लक्षण अथवा विशेषताएँ हैं—

(1) **विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति** (An Artificial Person Created by Law)—कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति के समान कार्य करती है और उसका अस्तित्व उसके निर्माताओं से बिल्कुल भिन्न होता है। **न्यायाधीश मार्शल** के अनुसार "एक कम्पनी कृत्रिम होने के कारण अदृश्य, अस्पर्श है और जिसका केवल कानून की निगाहों में अस्तित्व होता है।" इसका निर्माण, संगठन तथा समापन केवल कम्पनी विधान के द्वारा ही किया जा सकता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे पर मुकदमा चला सकता है और दूसरे उस पर मुकदमा चला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कम्पनी भी दूसरों पर मुकदमा चला सकती है तथा दूसरे कम्पनी पर मुकदमा चला सकते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि मनुष्य एक जीवित व्यक्ति है तथा उसका जन्म व मरण कानून द्वारा नहीं होता है, जबकि कम्पनी एक निर्जीव व्यक्ति है तथा इसका जन्म-मरण कानून के द्वारा ही होता है।

विशेष—यद्यपि कम्पनी एक वैधानिक व्यक्ति होती है परन्तु भारतीय संविधान के अन्तर्गत इसे नागरिक नहीं माना जाता क्योंकि कम्पनी को अन्य नागरिकों की भाँति मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं होते।

(2) **अविच्छिन्न उत्तराधिकार** (Perpetual Succession)—कम्पनी का अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है अर्थात् इसका स्थायी अस्तित्व होता है। अत: अंशधारियों के मर जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो जाने या कम्पनी से पृथक् आदि होने का इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक के बाद दूसरा अंशधारी जाता एवं आता रहता है, कम्पनी का अस्तित्व ज्यों का त्यों कायम रहता है। इस सम्बन्ध में विख्यात **कवि टैनीसन** (Tennyson) के निम्न शब्द अनायास ही स्मरण आते हैं—

"Man may come, man may go. But I go on for ever."

इसी आधार पर कम्पनी की विशेषता का चित्रण निम्न दिये गये शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है—

"Members may come, members may go. But the company goes on forever."

(3) **पृथक् वैधानिक अस्तित्व** (Separate Legal Entity)—कम्पनी का अपने सदस्यों से भिन्न एवं पृथक् वैधानिक अस्तित्व होता है। इस प्रकार कम्पनी का कोई भी अंशधारी कम्पनी के साथ किसी प्रकार का अनुबन्ध कर सकता है। पृथक् अस्तित्व के नाते कम्पनी ऐसे समस्त कार्य करती है जो कि एक प्राकृतिक व्यक्ति अपने निजी व्यापार के सम्बन्ध में कर सकता है।

(4) **लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था** (Voluntary Association for Profits)—संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है। इस प्रकार कम्पनी स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य का तात्पर्य कदापि यह नहीं होता कि ऐसी क्रियाएँ की जायें जो अवांछनीय हों अथवा जनहित के विरुद्ध हों। यह लाभ नियमित रूप से लाभांश के रूप में अंशधारियों में बाँट दिया जाता है।

(5) **सदस्यों की संख्या** (Number of Members)—एक सार्वजनिक कम्पनी में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके सदस्यों की संख्या इसके द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या तक हो सकती है किन्तु एक सार्वजनिक कम्पनी

1 "Company means a company incorporated under this Act or under any previous company law."

[Companies Act, 2013 Sec. 2(20)

सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 तक हो सकती है, इससे कम नहीं। एक निजी कम्पनी में सदस्यों की कम से कम संख्या 2 व अधिक से अधिक 200 हो सकती है।

(6) **सीमित दायित्व** (Limited Liability)—प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सामान्यत: उनके द्वारा खरीदे गये अंशों के अंकित मूल्य (Face Value) तक ही सीमित होता है। हानि होने की दशा में कम्पनी के ऋणदाता अंशधारियों की निजी सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे—राम किसी कम्पनी के 10 अंश खरीदता है तथा प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10 है तो ऐसी अवस्था में उससे ₹ 100 से अधिक नहीं माँगा जा सकता।

(7) **प्रतिनिधि व्यवस्था** (Representative Management)—चूँकि कम्पनी में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तथा यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक सदस्य कम्पनी के संचालन में भाग ले सके। अतएव कम्पनी में प्रतिनिधि शासन पद्धति होती है। इस प्रकार कम्पनी का प्रबन्ध उनके प्रतिनिधित्व संचालकों द्वारा किया जाता है। संचालकों के अधिकार तथा दायित्व कम्पनी के पार्षद एवं अन्तर्नियमों (Articles of Association) के द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

(8) **सार्वमुद्रा** (Common Seal)—सार्वमुद्रा कम्पनी के सामान्य अस्तित्व का प्रतीक है। इसके लग जाने पर कम्पनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अतएव जिन प्रलेखों को कम्पनी के लिए लिखा गया हो किन्तु उन पर सार्वमुद्रा का प्रयोग न किया गया हो तो उनके लिए कम्पनी उत्तरदायी न होकर वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जिसने उन प्रलेखों पर हस्ताक्षर किये थे। संक्षेप में, कम्पनी को बाध्य करने के लिए उसके प्रत्येक प्रलेख पर सार्वमुद्रा का लगना आवश्यक है।

(9) **कार्य-क्षेत्र की निर्धारित सीमाएँ** (Limitations of Area of Operation)—कम्पनी के कार्य-क्षेत्र की सीमाएँ उनके पार्षद सीमानियम तथा पार्षद अन्तर्नियमों द्वारा निर्धारित रहती हैं। साथ ही कोई भी कम्पनी अधिनियम के विपरीत कार्य नहीं कर सकती।

(10) **अभियोग चलाने का अधिकार** (Right to Sue)—कम्पनी अपने नाम से दूसरों पर अभियोग चलाने का अधिकार रखती है तथा इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों को भी कम्पनी पर अभियोग चलाने का अधिकार है।

(11) **अंश हस्तान्तरण** (Share Transfer) **की सुविधा**—साधारणतया कम्पनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तान्तरण किये जाने का अधिकार रखते हैं अर्थात् वे अपने अंशों का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकते हैं।

(12) **अधिनियम के अन्तर्गत ही स्थापना एवं समापन** (Establishment and Winding-up under Law)—जिस प्रकार एक कम्पनी का निर्माण अधिनियम द्वारा होता है, उसी प्रकार इसका समापन भी कम्पनी अधिनियम द्वारा ही किया जा [redacted] है।